website: www.pawanprawah.com
पवन प्रवाह
लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020

लेखक डॉ. भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व वर्तमान स्थिति

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप नव गठित भारत सरकार 30 मई 2019ए शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। निशंक ने आज दिनांक 31 मई 2019 को ही कार्यभार संभाला और जो मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ का अद्ध्यन किया। जिसकी सन्क्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जा रहा है।

भाग-13

गतान्क से आगे

12.4 शिक्षा और पर्यावरण

पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करने की बहुत जरुरत है और यह जागरुकता बच्चों से लेकर समाज के सभी आयुवर्गों और क्षेत्रों में फैलनी चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरुकता विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होनी चाहिए। इसे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जाएगा।

12.5 गणित-शिक्षण

गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने तर्क करनेए विश्लेषित करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है। एक विशिष्ट विषय होने के अतिरिक्त गणित को ऐसे किसी भी विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसमें विश्लेषण और तर्कशक्ति की जरूरत होती है।

अब विद्यालयों में भी कम्प्यूटरों का प्रवेश होने लगा है। इससे शैक्षिक कम्प्यूटरी का मौका मिलेगा। कार्यकारण संबंध की ओर चरों की पारस्परिक क्रिया को समझने और सीखने की प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। गणित शिक्षण को इस प्रकार स पुनर्गठित किया जाएगा कि वह आधुनिक टेक्नॉलाजी के उपकरणों के साथ जुड़ सके।

12.6 विज्ञान शिक्षा

विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना सृजनात्मकता वस्तुगतता प्रश्न करने का साहस और सौंदर्य बोध जैसी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो सकें।

विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसे विद्यार्थियों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यताएँ उत्पन्न हो सकें और वे स्वास्थ्य कृषि उद्योग तथा जीवन के अन्य पहलुओं के साथ विज्ञान के सम्बन्ध को समझ सकें। जो लोग अब तक औपचारिक शिक्षा के दायरे के बाहर रहे हैं उन तक विज्ञान की शिक्षा को पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

12.7 खेल और शारीरिक शिक्षा

खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्य सिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की राष्ट्रव्यापी अधोरचना इंफ्रास्ट्रक्चर्ड को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा।

इस अधोरचना के तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शहरों में उपलब्ध खुले क्षेत्र खेलों के मैदान के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए वैधानिक कार्यवाई की जाएगी। ऐसा खेल संस्थाएँ और छात्रावास स्थापित किए जाएंगे

जहाँ आम शिक्षा के साथ-साथ खेलों की गतिविधियों और उनसे संबद्ध अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेलकूद में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत के पारम्परिक खेलों पर उचित बल दिया जाएगा। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के

रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जाएगी।

12.8 युवावर्ग की भूमिका

शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजनाएं राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। संस्थाओं के बाहर भी युवाओं को विकास सुधार और विस्तार के कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना को सुदृढ़ किया जाएगा।

12.9 मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार

विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए।

परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया किया जाएगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम कर सके। क्रियात्मक रूप में इसका अर्थ होगा।

- अत्यधिक संयोग यचान्सद्ध और आत्मगतता व सब्जैक्टिविटी के अंश को समाप्त करना।
- रटाई पर जोर को हटाना।
- ऐसी सतत् और सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्रेत्तर पहलू समाविष्ट हो जाएँ और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहें।
- अध्यापकों विद्यार्थियों और माता-पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग।
- परीक्षाओं के आयोजन में सुधार।
- परीक्षा में सुधार के साथ-साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण-विधि में भी सुधार।
- माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र-प्रणाली का प्रारम्भ।
- अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग।

ये उद्देश्य बाह्य परीक्षाओं और शिक्षा-संस्थाओं के अन्दर मूल्यांकन दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा।

13.0 शिक्षक

किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि का पता लगता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों केस्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और संप्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक-व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। यह प्रयत्न किया जाएगा कि पूरे देश में वेतन में सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति-निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धान्त बनाए जाएंगे। उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जाएगी जो प्रकट होगी आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होगी और जिसमें सबका योगदान होगा। ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिए जाएंगे। जवाबदेही केमानक तय किए जाएंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित और निष्क्रियता को निरूत्साहित किया जाएगा।

शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रामाणिकता की हिमायत करने शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक-संघों को अहम् भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक आचार-संहिता बना सकते हैं और उसका अनुपालन करा सकते हैं।

13.1 अध्यापकों की शिक्षा

अध्यापकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। पहले कदम के रूप में अध्यापकों की शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जाएगा।

अध्यापकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत् शिक्षा पर और इस शिक्षा-नीति में नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थानों की स्थापना के साथ बहुत सी घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाएगा। कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक-प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में काम कर सकें। राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद् को सामर्थ्य और साधन दिए जाएंगे जिससे यह परिषद् अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अधिकारिक हो और उनके शिक्षाक्रम और पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सके। अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी।

13.2 शिक्षा का प्रबंध

शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जायेगा वे निम्नलिखित हैं।

1 शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना।

2 विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओ मे स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना ।

3 लोक भागीदारी को प्राथमिकता देनाए जिसमे गैर सरकारी एजेंसियो का जुडाव तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल है।

4 शिक्षा की आयोजना और प्रबंध मे अधिकाधिक संख्या मे महिलाओं को सामिल करना।

5 प्रदत्त उद्देश्यो और मानदंडो के सम्बंध मे जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना।

क्रमशः शेष अगले अंक मे पढ़ें